

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

मोख्तारुल हक,
परामर्शी।

सेवा में.

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची—834002

पटना—15, दिनांक.....

विषय :—श्रीमती उर्मिला देवी द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत के बीन्दगामा ग्राम के खाता संख्या—85 (पु०) / 265 (न्य०), प्लॉट संख्या—787 (पु०) / 2305 (न्य०), में SH-93 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.00765 हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव श्रीमती उर्मिला देवी, पति—श्री विश्वनाथ प्रसाद राय, ग्राम—प०—जलालपुर, भाया—बधरा, थाना—पटोरी, जिला—समस्तीपुर द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या—189 (ई०) / 190 (ई०), दिनांक—16.02.1994 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। रिटेल आउटलेट के निर्माण के क्रम में 0.00765 हेतु वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थल पर पातित होने वाले वृक्षों की संख्या—शून्य है एवं प्रासंगिक पत्र में प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है। अपयोजन प्रस्ताव का Geo-Referenced Map in shape file format अर्थात् सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.00765 हेतु वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में रु० 6.26 लाख प्रति हेतु दर से रु० 4,789 /—(चार हजार सात सौ नवासी रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 (एक सौ) वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के

कार्यालय आदेश संख्या—03, दिनांक—01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

4. भारत सरकार के पत्र संख्या—11—29 / 2004 दिनांक—15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा—निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।
5. भारत सरकार के पत्र संख्या—11—29 / 2004 दिनांक—15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा—निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1—1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक—5—3 / 2007 दिनांक—18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा—निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1—1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(मोख्तारुल हक)
परामर्शी।

ज्ञापांक :— वन भूमि—53 / 2020..... / प०व०ज०प०, पटना—15, दिनांक.....
प्रतिलिपि :—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/श्रीमती उर्मिला देवी, पति—श्री विश्वनाथ प्रसाद राय, ग्राम—प००—जलालपुर, भाया—बधरा, थाना—पटोरी, जिला—समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मोख्तारुल हक)
परामर्शी।

ज्ञापांक :— वन भूमि—53 / 2020 ८२५०/ प०व०ज०प०, पटना—15, दिनांक ६९०६१२०१०
प्रतिलिपि :—आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब—साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट—2 उपलब्ध कराया जाय।

१६/६/२०२०
(मोख्तारुल हक)
परामर्शी।